जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 20 संख्याः 229 प्रभात जालोर, बुधवार, 26 नवम्बर, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

कांग्रेस का संगठन क्यों चरमरा गया यू.पी. में, बिहार में?

इसका जवाब ढूंढने में ज्यादा मेहनत की जरुरत नहीं है, राजस्थान में नए जिलाध्यक्षों का चयन, इस पतन की कहानी समझने-समझाने के लिए पर्याप्त है

- रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 नवंबर। के. सी. वेणुगोपाल के संरक्षण में और एआईसीसी प्रभारी रंधावा की सक्रिय भूमिका के साथ, राजस्थान कांग्रेस ने उस उदयपुर घोषणा पत्र को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया है, जिसे बड़े धूमधाम से इसलिए जारी किया गया था कि कांग्रेस पार्टी के कामकाज में सुधार लाने के लिए नई गाइडलाइंस लागू हों।

जिले के अध्यक्षों की नियुक्ति में सभी नियमों और तय प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई और पूरे काम को एक मज़ाक बना दिया गया।

अजमेर ग्रामीण से विकास चौधरी, जो आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्हें पार्टी में शामिल किया गया, विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया, वे विधायक बने और अब उन्हें ज़िला अध्यक्ष बना दिया गया है। चौधरी उन 12 विधायकों में से एक हैं, जिन्हें ज़िला अध्यक्ष बनाया गया है, किन्तु उदयपुर घोषणा में तय 5 साल की कूलिंग ऑफ़ अवधि का पालन किए बिना।

- उदाहरण के लिए, अजमेर में आरएसएस पृष्ठभूमि के विकास चौधरी को नया जिलाध्यक्ष बनया है, कांग्रेस ने।
- चित्तौड़गढ़ में नया जिलाध्यक्ष उसे बनया गया है, जिसे कांग्रेस से निष्काशित किया हुआ है तथा जिसकी विवादित पृष्ठभूमि पुलिस थानों के रिकॉर्ड में अच्छी तरह अंकित है।
- हनुमानगढ़ में, उस व्यक्ति को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो अभी कुछ समय पूर्व तक आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी था।
- नीम का थाना में, वह आदमी नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जिसे सरकारी नौकरी से रिटायर हुए अभी एक साल भी नहीं हुआ।
- जहाँ तक, नए खून को बढ़ावा देने के प्रयास का सवाल है, डीडवाना में उसी आदमी को नया जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है, जो आठ साल से जिलाध्यक्ष है। दौसा में भी उस आदमी को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जो 15 साल से जिलाध्यक्ष चला आ रहा है।
- ऐसी अजीबोगरीब नियुक्तियाँ, एक दो नहीं, कई हैं।
- इन कारनामों से क्या कांग्रेस संगठन की जड़ें मजबूत होंगी, राजस्थान में।
- साथ ही ऐसी कहानी, यू.पी., बिहार, मध्य प्रदेश में भी होती आई है। अतः, संगठन की जर्जर अवस्था समझना कोई कठिन काम नहीं है।

पर्यवेक्षकों की सलाह के खिलाफ जाकर पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने प्रमोद सिसोदिया को ज़िला अध्यक्ष बनाया है। उन पर चित्तौड़गढ़ का हिस्ट्रीशीटर होने का आरोप है और उन्हें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बयान होने से पहले सरकारी गवाह बने आरोपी को जमानत नहीं

जयपुर, 25 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मानव अंग तस्करी और किडनी प्रत्यारोपण से जुड़े एक मामले में कहा है कि सरकारी गवाह बने आरोपी को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता, जब तक कि निचली अदालत में उसके बयान दर्ज नहीं हुए हों। इसके साथ ही, अदालत ने मामले

- हाई कोर्ट ने किडनी प्रत्यारोपण मामले में बाँग्लादेश निवासी नुरूल इस्लाम पर निर्देश दिए।

में निचली अदालत को कहा कि वह चार सप्ताह में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम करने के संबंध में निर्णय ले। वहीं, चार्ज फ्रेम होने की स्थिति में सबसे पहले याचिकाकर्ताओं के बयान दर्ज करे। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वे निचली अदालत में बयान दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश कर सकते हैं। जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने ये आदेश बांग्लादेश निवासी नुरूल इस्लाम व एक अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जल्दी सुनवाई का मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अदालत ने कहा कि न्याय में देरी पीड़ित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अगर एक भी मुसलमान का नाम कटा तो मैं दिल्ली की सरकार का पत्ता कटवा दूँगी'

मुस्लिम (बाँग्लादेशी) वोट बैंक की नाराज़गी को बढ़ने से रोकने के लिए हताश ममता बनर्जी ने नए-नए वादे देने शुरु किए

- अंजन रॉय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 25 नवम्बर। ममता बनर्जी पर मुस्लिम समुदाय का गुस्सा बढ रहा है, क्योंकि वे चुनाव आयोग की एस आई आर प्रक्रिया को रोकने में नाकाम रही हैं। इस नाराज़गी के बीच अब मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ दी है।

आज एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने राज्य के मुसलमानों को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए, तो वे यह सुनिश्चित करेंगी कि (भाजपा की) केन्द्र सरकार भी हटा दी जाए। उन्होंने केन्द्र के खिलाफ सीधे कदम उठाने की धमकी दी है।

उनकी मुख्य नाराज़गी यह है कि एस आई आर प्रक्रिया अगले साल होने वाले राज्य चुनावों से पहले क्यों चलाई जा जा रही है। वे अब मांग कर रही हैं कि एस आई आर का काम दो-तीन

- जैसा कि विदित ही है, मुस्लिम (बाँग्लादेशी) वोट बैंक नाराज़ है, ममता बनर्जी से, क्योंकि ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया रूकवा नहीं पाईं, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। एसआईआर में नाम कटने के डर से बाँग्लादेशी वापस बाँग्लादेश जाने लगे है, भारी संख्या में।
- ममता बनर्जी ने एक नया नारा दिया, ''आई लव बाँग्लादेश'', फिर, क्योंकि बाँग्लादेश में ममता जी के लिए ज्यादा ममता नहीं, उन्होंने नारा बदला और कहना शुरु किया, बाँग्लादेश के लिए मेरा प्रेम बाँग्ला भाषा के कारण है।
- पर, सभी नारों के बावजूद, बात कुछ बन नहीं रही, मुस्लिम (बाँग्लादेश) वोट बैंक धीरे-धीरे खिसक रहा है और ममता बनर्जी की हताशा बढ़ती जा रही है।

वर्षों तक चले, ताकि अगला चुनाव निपट जाए।

असल में, वे सत्ता में और मुख्यमंत्री के पद पर बनी रहना चाहती हैं। लेकिन अब हालात उनके लिए तूफ़ानी हो गए हैं और एस आई आर पूरा होने पर, उन्हें खतरा साफ-साफ दिख

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मौसम विभाग ने कुछ सांत्वना दी दिल्ली निवासियों को

मौसम विभाग के अनुसार, इथोपिया में ज्वालामुखी फटने से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड व चट्टानों के पार्टिकल्स के बादल से दिल्ली पर न्यूनतम असर होगा, प्रदूषण की दृष्टि से

- श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 नवंबर। पहले से ही खतरनाक वायु गुणवत्ता के कारण सांस लेने में मुश्किल झेल रहे दिल्लीवासियों को सोमवार को एक और पर्यावरणीय चुनौती का सामना करना पड़ा, जो एक असामान्य कारण से आ खड़ी हुई है।

इथियोपिया में हुए एक दुर्लभ ज्वालामुखी विस्फोट से उठे सल्फर डाइऑक्साइड और बारीक चट्टानी कणों से भरे घने राख के बादल रविवार रात दिल्ली तक पहुंच गए, जिससे यह आशंका बढ़ गई कि राजधानी के ए.क्यू.आई. लैवल पर खतरनाक असर पड़ सकता है।

दिल्ली और आसपास के शहर बीते दिनों से जहरीली हवा से जूझ रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली का ए.क्यू.आई.

- यह बादल इतनी ऊँचाई पर है कि वह गुजरात, राजस्थान होता हुआ, दिल्ली व पंजाब पहुँचेगा तथा चीन की ओर बढ़ेगा, पर, उसका असर रास्ते में पड़ रहे शहर पर नहीं पड़ेगा। लेकिन, हवाई यात्राएँ जरूर प्रभावित होगी।

382 दर्ज हुआ, जबकि गाजियाबाद में 396, नोएडा में 397 और ग्रेटर नोएडा में 382 रहा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, ए.क्यू.आई. 400 से ऊपर ''गंभीर'' श्रेणी में आता है।

दिल्ली में सरकारी ऑफिस और प्राइवेट संस्थान सोमवार को लागू किए गए स्टेज-3 ग्रैप के तहत 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में चिंता जताई गई कि दिल्ली-एनसीआर में लगभग 37 प्रतिशत वाहन पुराने बी.एल.1 और बी.एस.3 उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं। अधिकारियों को इस पर तत्काल सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

दिल्लीवासियों के लिए थोड़ी राहत यह है कि मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इथियोपिया की ज्वालामुखीय राख ऊपरी वायुमंडल में यात्रा कर रही है और इसका सतह के स्तर पर खास असर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लॉरेंस बिश्नोई के नाम की जैकेट बेचते तीन गिरफ्तार

जयपुर, 25 नवंबर। कोटपूतली पुलिस की टीम ने कस्बे में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का महिमामंडन करने वाली वस्तुएं बेचने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।

कोठपुतली-बहरोड़ एसपी देवेन्द्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि

- कोटपूतली पुलिस ने गैंगस्टर को महिमामंडित करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की।

कोटपूतली के सिटी प्लाजा से लॉरेंस बिश्नोई के नाम का प्रचार करने वाली जैकेट बेचते हुए कृष्ण उर्फ गुड्डू (38), संजय सैनी (31) और सुरेशचन्द शर्मा (50) को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों ही कोटपूतली क्षेत्र के निवासी हैं। इन गिरफ्तार आरोपितों के पास से 35 जैकेट जब्त की गई हैं।

भाजपा महाराष्ट्र का अनुभव कर्नाटक में दोहराने को तैयार है

भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आदि डी.के. शिवकुमार से संपर्क में हैं तथा अगर वे कांग्रेस छोड़कर, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं तो भाजपा अपने 82 विधायकों के साथ, उस सरकार को बाहर से समर्थन दे देगी

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 25 नवम्बर। कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार एक बार फिर उथल-पुथल का सामना कर रही है, क्योंकि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा पेश किया है।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह दावा मई-जून 2023 में शिवकुमार और राहुल गांधी के बीच हुई एक सहमति से आया है, जिसके मुताबिक पांच साल के कार्यकाल को सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच बांटा जाना था।

पिछले हफ्तों में दोनों नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से बेंगलुरु

- इस चर्चा ने जोर इसलिए पकड़ा, क्योंकि डी.के. शिवकुमार कुछ नाखुश से हैं कांग्रेस से, क्योंकि पुराने वादे के अनुसार, नवंबर से उनका मु.मंत्री बनने का वादा पूरा नहीं कर रहा, कांग्रेस का हाईकमान।
- कांग्रेस नये-नये बहाने ढूंढ रही है, शिवकुमार को मु.मंत्री न बनाने के लिए। नवीनतम बहाना यह है कि कांग्रेस हाईकमान शीघ्र शुरु होने वाले संसद के सत्र की तैयारी में व्यस्त है तथा सत्र के बाद कर्नाटक के मसले पर गहराई से विचार होगा।

और दिल्ली में अलग-अलग मीटिंग की हैं। लेकिन, कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि हाईकमान सिद्धारमैया को पूरा कार्यकाल देने के पक्ष में है और फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन का कोई विचार नहीं है।

तथापि, शिवकुमार पार्टी नेतृत्व को पहले किए गए पावर शेयरिंग कमिटमैंट की याद दिला रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि काफी संख्या में विधायक उनके प्रमोशन के समर्थन में हैं। जून 2023 में भी उन्होंने अधिकांश विधायकों का समर्थन होने की बात कही थी, हालांकि बाद में राहुल गांधी के समझाने पर वे नरम पड़ गये थे और उन्होंने गांधी की, ''सही समय का इंतजार'' करने की बात मान ली थी।

इस नई राजनीतिक हलचल के बीच, लगभग 25 कांग्रेस विधायक, जो शिवकुमार के करीबी माने जाते हैं, इन दिनों दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस सूत्र इस घटनाक्रम को कम महत्व देते हुए कह रहे हैं कि ये विधायक नेतृत्व परिवर्तन के लिए दबाव नहीं डाल रहे, बल्कि लंबे समय से लंबित मंत्री पदों की मांग कर रहे हैं, जिस पर सन्निकट कैबिनेट विस्तार के समय विचार किया जा सकता है।

इसी बीच, भाजपा इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। पिछले कुछ दिनों से पार्टी के भीतर राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आईटी से जुड़े पॉक्सो मामलों की जाँच जूनियर अधिकारी से क्यों'

जयपुर, 25 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को 2 दिसंबर को तलब कर पूछा है कि पॉक्सो अपराध से जुड़े जिन मामलों में आईटी एक्ट का अपराध शामिल होता है, उन मामलों की जांच पुलिस निरीक्षक स्तर

- हाई कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को 2 दिसंबर को जवाब देने के निर्देश दिए।

के निचले अधिकारियों से कैसे कराई जा रही है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने ये आदेश नितिन सैनी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि पॉक्सो से जुड़े इस अपराध में पीड़िता का वीडियो भी वायरल हुआ था और मामले की जांच पुलिस उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने सेना में कार्यरत ईसाई अफसर की बर्खास्तगी को जायज माना

उक्त अफसर ने सेना सर्वधर्म स्थल में प्रवेश करने से मना कर दिया था, हालांकि, उसके वरिष्ठ अधिकारी ने धर्म स्थल में जाकर, पूजा कराने के लिए स्पष्ट आदेश दिए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें एक ईसाई भारतीय सेना अधिकारी की सेवा समाप्ति को सही ठहराया गया था। अधिकारी पर आरोप था कि उन्होंने अपने एकेश्वरवादी (सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास) धार्मिक विचारों का हवाला देते हुए रेजीमेंट के ''सर्व धर्म स्थल'' में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था। यह स्थल सभी धर्मों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 मई के अपने आदेश में सैमुअल कमलेसन की बर्खास्तगी को सही बताते हुए कहा था कि किसी वरिष्ठ के वैध आदेश से ऊपर धर्म को रखना स्पष्ट रूप से अनुशासनहीनता है।

मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की बेंच ने कहा कि कमलेसन का व्यवहार एक आर्मी अधिकारी द्वारा की गई सबसे गंभीर अनुशासनहीनता है। बेंच ने कहा, ''हमने याचिकाकर्ता के वकील को पूरी तरह सुना। हमें हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं दिखता। यह याचिका खारिज की जाती है।''

बेंच ने कहा कि वे कई मामलों में बेहतरीन अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना के लिए, जो अनुशासन

- न्यायालय ने अफसर के इस कृत्य को ''भारी अनुशासनहीनता'' माना और अफसर को भारतीय सेना के लिए अनुपयुक्त माना तथा बर्खास्तगी के आदेश को सही करार दिया।

और धर्मनिरपेक्षता के लिए जानी जाती है, वे बिल्कुल उपयुक्त नहीं हैं।

उन्होंने कहा, ''गर्भ गृह में प्रवेश करना मेरी आस्था के खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि जब आप आर्मी में शामिल होते हैं तो आप अपने आस्था के निशान खो देते हैं'', उन्होंने आगे कहा, ''किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ एक को थी।''

तथापि, न्यायमूर्ति कांत ने इसे सेना अधिकारी द्वारा की गई बेहद गंभीर अनुशासनहीनता बताया। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि एक पादरी ने भी कमलेसन को समझाया था कि सर्व धर्म स्थल में प्रवेश करने में कोई धार्मिक बाधा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी निजी व्याख्या को प्राथमिकता दी। अगर पादरी, जो आपकी आस्था के हैड हैं, कहते हैं कि इससे आपके विश्वास की जरूरी बातों पर कोई असर नहीं पड़ता, तो क्या मानने वाले की पर्सनल समझ यूनीक होगी, या पादरी का नज़रिया ओवरराइड करेगा।

कमलेसन के वकील शंकर नारायण ने कहा कि पादरी से हुई बातचीत सिर्फ सर्व धर्म स्थल को लेकर थी, मंदिर या गुरुद्वारे को लेकर नहीं।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, ''वह सर्व धर्म स्थल है'', लेकिन वकील ने इससे इनकार किया।

न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि जो अधिकारी सैनिकों का नेतृत्व करते हैं, उन्हें मिसाल कायम करनी चाहिए।'' उन्होंने कहा, ''आप ग्रुप लीडर हैं। आपकी टीम में सिख सैनिक हैं, इसलिए वहाँ गुरुद्वारा है, ... गुरुद्वारा सबसे धर्मनिरपेक्ष स्थलों में से एक है। जिस तरह से वे व्यवहार कर रहे हैं, क्या वह अपने ही सैनिकों का अपमान नहीं है? हमें यह भी हैरानी है कि वे अपने पादरी की सलाह भी नहीं मान रहे।''

वकील ने कहा कि ऑफिसर एक मंदिर में भी गया था और त्योहारों में भी शामिल हुआ था। उन्होंने कहा, ''आज भी मैं वहां जाने को तैयार हूं, लेकिन समारोह कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कमांडेंट बार-बार कह रहे थे कि मुझे पवित्र स्थल के अंदर जाकर पूजा की रस्में करनी होंगी। मेरे प्रोटेस्टेंट एकेश्वरवादी विश्वास में ऐसा करना उचित नहीं। संविधान मुझे इतनी स्वतंत्रता देता है।''

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि अधिकारी ने अपने जवाब में स्वीकार किया था कि अन्य ईसाई अधिकारियों ने भी कहा, ''प्लीज़ कर दीजिए, इसमें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार विधान सभा का पहला सत्र 1 दिसंबर से

पटना, 25 नवंबर। बिहार विधानसभा का पहला सत्र, हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के बाद एक दिसंबर से प्रारंभ होगा।

बिहार विधानसभा सचिवालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार,

- दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा।

विधानसभा सत्र के पहले दिन नव-निर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव शपथ दिलायेंगे।

पहले दिन की कार्यवाही के बाद 2 दिसंबर को विधानसभा के नये अध्यक्ष का चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा किया जायेगा, जिसके बाद सदन नियमित रूप से कामकाज करना शुरू कर देगा।

इसके बाद 3 दिसंबर को बिहार के राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान, बिहार विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उसी दिन सरकार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)